रजिस्ट्री सं॰ डी॰ 221 REGISTERED No. D 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 121] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 25, 1972/फाल्गुन 6, 1893

No. 121] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 25, 1972/PHALGUNA 6, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

WEALTH-TAX

New Delhi, the 25th February 1972

S.O. 165(E).—In exercise of the powers conferred by section 46 of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Wealth-tax Rules, 1957, namely:—

1. These rules may be called the Wealth-tax (Amendment) Rules, 1972.

2. In the Wealth-tax Rules, 1957,—

(a) in Form F,—

(i) for item 12, the following items shall be substituted, namely:—

"12. Date on which the return of net wealth, if any, for the assessment year referred to in item 3 was filed;

13. Date on which the assessee was served with a notice, if any, calling upon him to file the return of net wealth for the assessment year referred to in item 3;

14. (i) Relief claimed in appeal. .. ..";

(ii) in Note No. 2, for the words "one hundred rupees", the words and figures "one hundred rupees in a case where either of the dates shown against items 12 and 13 falls before 1st April 1971, and one hundred and twenty-five rupees in any other case" shall be substituted;

(b) in Form H,—

(i) for paragraph 6, the following paragraphs shall be substituted, namely:—

"6. That the date on which the return of net wealth for the assessment year in connection with which the reference application is being made was filed is..............and the date on which the assessee was served with a notice calling upon him to file the return of net wealth for that assessment year is..................

7. That the documents or copies thereof, as specified below (the translation in English of the documents, where necessary, is annexed) be forwarded to the High Court with the statement of the case.";

(ii) in Note No. 2, for the words "one hundred rupees", the words and figures "one hundred rupees in a case where either of the dates shown in paragraph 6 falls before 1st April, 1971, and one hundred and twenty-five rupees in any other case" shall be substituted.

[No. 34/F. No. 143(1)/72-TPL.]

R. R. KHOSLA, Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

धन–कर

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1972

का० आ० 165 (अ)—धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, धन-कर नियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम धन-कर (संशोधन) नियम, 1972 होगा ।

2. धन-कर नियम, 1957 में,—

(क) प्ररूप च में,—

(i) मद 12 के स्थान पर, निम्नलिखित मदें प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"12. तारीख जिसको मद 3 में निर्दिष्ट निर्धारण वर्ष के लिए शुद्ध धन, यदि कोई हो, की विवरणी फाइल की गई थी

---

13. तारीख जिसको निर्धारिती को कोई ऐसी सूचना, यदि कोई हो, तामील की गई थी जिसमें उससे मद 3 में निर्दिष्ट निर्धारण वर्ष के लिए शुद्ध धन की विवरणी फाइल करने के लिए कहा गया था

---

14. (i) (ii) असंतोष जिसका अपील में दावा किया गया........";

(ii) टिप्पण संख्या 2 में, "एक सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर, "किसी ऐसे मामले में जहां मद 12 और 13 के सामने दर्शित तारीखों में से कोई तारीख 1-4-71 से पसले पड़ती हो एक सौ रुपये और किसी अन्य मामले में एक सौ पच्चीस रुपये" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(ख) प्ररूप ज मे,—

(i) पैरा 6 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"6. कि तारीख जिसको उस निर्धारण वर्ष के लिए शुद्ध धन की विवरणी फाइल की गई थी जिसके बारे में निर्देश आवेदन किया गया है,. . . . . .है और तारीख, जिसको निर्धारिती को कोई ऐसी सूचना जिसमें उससे उस निर्धारण वर्ष के लिए शुद्ध धन की विवरणी फाइल करने के लिए कहा गया था तामील की गई थी, ... है ।

7. कि नीचे यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेज या उनकी प्रतियां (दास्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद, जहां आवश्यक हो, उपाबद्ध है) मामले के कथन के साथ उच्च न्यायालय को अग्रेषित की जाएं" ;

(ii) टिप्पण सं० 2 मे, "एक सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर, "किसी ऐसे मामले मे जहां पैरा 6 में दर्शित तारीखों में से कोई तारिख 1-4-71 से पहले पड़ती हो एक सौ रुपये और किसी अन्य मामले में एक सौ पच्चीस रुपये" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 34/फा० सं० 143 (1)/72-टी०पी०एल०]

आर० आर० खोसला, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972